अनुदान संख्या 54 - पुलिस
GRANT No. 54 – POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*				
मूल	*Original*	*5,67,00*			
			13,82,00	*12,02,16*	*-1,79,84*
पूरक	*Supplementary*	*8,15,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	37515,15,00			
			37527,93,00	37507,97,88	-19,95,12
पूरक	Supplementary	12,78,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*7,87,00*	*5,29,43*	*-2,57,57*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	9333,56,00			
			9333,60,00	6334,38,67	-2999,21,33
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2023,16,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹179.84 लाख*) दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए *₹815.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 22 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 13 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the c*harged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹*179.84 lakhs*) constituted 22 percent of the supplementary *appropriation* of ₹*815.00 lakhs* obtained in December, 2012 and 13 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	*O.*	*567.00*	*1382.00*	*1202.16*	*-179.84*
पू.	*S.*	*815.00*			

(I) *₹6.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹6.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

(II) "दिल्ली पुलिस - निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत *₹121.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹50.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹171.00 लाख* कर दिया गया जो, तथापि, माननीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय के निर्णय को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण *₹43.72* लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Delhi Police – Direction and Administration" - the original *appropriation* of *₹121.00 lakhs* was augmented to *₹171.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹50.00 lakhs* which, however, remained unutilized to the extent of *₹43.72 lakhs* - due to non-finalization of decision of Hon'ble Motor Accident Claims Tribunal Court.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत *₹154.61 लाख* की बचतें हुईं जो प्रत्येक में *₹50.00 लाख* से अधिक परन्तु *₹100.00 लाख* से कम और स्वीकृत *विनियोग* का 46 प्रतिशत और 79 प्रतिशत थीं।

(III) Under two heads savings of *₹154.61 lakhs* occurred, each exceeding *₹50.00 lakhs* but not exceeding *₹100.00 lakhs* and constituting 46 percent and 79 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. उपर्युक्त बचतें "असम राइफल्स - स्थापना और प्रशासन" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - *₹125.89 लाख* का अधिक व्यय (*₹765.00 लाख* के पूरक *विनियोग* सहित *₹795.00 लाख* के कुल स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) न्यायालय डिक्री की वजह से प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under "Assam Rifles – Establishment and Administration" – excess of *₹125.89 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *₹795.00 lakhs* including supplementary *appropriation* of *₹765.00 lakhs*) was due to requirement of additional funds towards compensation owing to court decree.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹1995.12 लाख) दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1278.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹1995.12 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1278.00

हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and constituted half percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस / Major Head "2055" Police					
मू.	O.	3548141.00			
पू.	S.	1276.00	3619429.00	3624009.75	+4580.75
पु.	R.	70012.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान / Major Head "3601" Grants- in-aid to State Governments					
मू.	O.	202054.00			
पू.	S.	1.00	132136.00	125628.00	-6508.00
पु.	R.	-69919.00			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान / Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	1320.00			
पू.	S.	1.00	1228.00	1160.13	-67.87
पु.	R.	-93.00			

(I) ₹22073.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹22000.00 लाख मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹22073.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹22000.00 lakhs accounted for under Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Police - Other Grants" - under the following heads:-

(का) "उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में क्रांतिक अवसंरचना" - ₹15500.00 लाख; और

(A) "Critical infrastructure in Extremist Affected Areas" – ₹15500.00 lakhs; and

(खा) "विद्रोह विरोधी और आतंकवादी-रोधी विद्यालय को सहायता" - ₹6500.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति दावे और उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2055" - "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड - स्थापना" के अंतर्गत ₹45520.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹95.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹45615.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1274.59 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हथियार और गोली-बारूद प्राप्त न होने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया कार्य पूरा न होने और रेलवे से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(क) "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विभागीय लेखा संगठन" - ₹927.06 लाख की बचत (₹6781.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" - ₹35441.14 लाख की बचत (₹36409.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, योजना पदों के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) "Assistance to Counter Insurgency and Anti Terrorist School" – ₹6500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of re-imbursement claims and utilization certificates from the State Governments.

(II) Under Major Head "2055" - "National Security Guard - Establishment" – the original provision of ₹45520.00 lakhs was augmented to ₹45615.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹95.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1274.59 lakhs (including supplementary grant) – due to non-receipt of arms and ammunition, non-completion of work assigned to Central Public Works Department and non-receipt of claims from Railway.

(III) Under Major Head "2055" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Direction and Administration" –

(a) "Departmental Accounting Organisation of Central Armed Police Forces" – saving of ₹927.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6781.00 lakhs) was due to non- filling-up of vacant posts, non-finalization of proposals, non-receipt of claims from Directorate General of Supplies and Disposals and economy measures

(b) "National Intelligence Grid" - saving of ₹35441.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36409.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals of plan posts and economy measures.

(ग) "भारत भूमि पत्तन प्राधिकरण" - ₹758.25 लाख की बचत (₹1045.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" - ₹831.93 लाख की बचत (₹4581.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को भरे न जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "आसूचना ब्यूरो" - ₹6424.51 लाख की बचत (₹102820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, आर एवं टी परियोजना की स्थापना के लिए कोडीय औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने, चिकित्सा व्ययों, प्रकाशन, किराया, दर एवं करों, घरेलू यात्रा, व्यावसायिक सेवाओं के दावे प्राप्त न होने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(च) "राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण" - ₹1319.21 लाख की बचत (₹6314.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, नई दिल्ली सिटी सेंटर के किराए पर लिए गए भवन में मुख्यालय को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(छ) "प्रशिक्षण और विकास" - ₹152.28 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठन के कार्यकलापों का स्वरूप गुप्त होने के कारण हुई।

(ज) "ई-अभिशासन की अवसंरचना" - ₹192.30 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(c) "Land Ports Authority of India" – saving of ₹758.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1045.00 lakhs); and

(d) "Narcotics Control Bureau" - saving of ₹831.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4581.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals and economy measures.

(e) "Intelligence Bureau" - saving of ₹6424.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹102820.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-completion of codal formalities for setting up of R & T project, non-receipt of claims towards medical expenses, publication, rent, rate & taxes, domestic travel, professional services, requirement of less funds by Central Public Works Department and economy measures.

(f) "National Investigation Agency" - saving of ₹1319.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6314.00 lakhs) was due to non-filling-up of vacant posts, delay in finalization of Headquarters at hired building of New Delhi City Centre and economy measures.

(g) "Training and Development" - saving of ₹152.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to secret nature of activities of the organization.

(h) "Infrastructure of E-Governance" - saving of ₹192.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to non -finalization of schemes.

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण" -

(क) "केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय" - ₹457.12 लाख की बचत (₹1172.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, चिकित्सा दावे प्राप्त न होने, विभिन्न कार्यालय उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और व्यवसायियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान" - ₹286.93 लाख की बचत (₹897.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, छात्रवृत्ति के कम दावे प्राप्त होने, मल जल उपचार संयंत्र की स्थापना और परिसर विकास के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) "पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी" - ₹241.55 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुध निर्माणी से शस्त्रों और गोलीबारूद की कम अधिप्राप्ति किए जाने, दिहाड़ी मजदूरों को कम संख्या में काम पर रखे जाने और पुरस्कारों के लिए कम दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) "अवैध व्यापार को रोकना" - ₹4125.01 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" - ₹525.33 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, किराया और करों के दावे प्राप्त न होने और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Education and Training" –

(a) "Central Detective Training School" - saving of ₹457.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1172.00 lakhs) was due to non filling-up of vacant posts, non-receipt of medical claims, non-finalization of proposals for procurement of various office equipments and non-receipt of claims towards engagement of professionals and training programmes.

(b) "National Institute of Criminology and Forensic Science" - saving of ₹286.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹897.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals, receipt of less claims towards scholarship, non-approval of proposal for installation of sewage treatment plant and campus development and economy measures.

(c) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹241.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to less procurement of arms and ammunition from ordnance factory, hiring of less number of casual labourers and receipt of less claims towards rewards.

(d) "Anti Trafficking" - saving of ₹4125.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and economy measures.

(e) "Central Academy for Police Training" - saving of ₹525.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of claims towards rent and taxes and requirement of less funds towards training course.

(गा) "अनुसंधान - पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" - ₹2539.60 लाख की बचत (₹4601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य को पूरा न किए जाने, चिकित्सा दावे प्राप्त न होने, उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने, प्रशिक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठियों/प्रकाशन बिलों, समयोपरि भत्ते, विदेश यात्रा व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(C) "Research - Bureau of Police Research and Development" - saving of ₹2539.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4601.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals, non-completion of work by Central Public Works Department, non-receipt of medical claims, non-receipt of claims from Directorate General of Supplies & Disposals for procurement of equipment, requirement of less funds towards training, workshop, seminars/ publication bills, overtime allowance, foreign travel expenses and economy measures.

(घा) "अपराधी अन्वेषण और सतर्कता" -

(क) "केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला" - ₹938.00 लाख की बचत (₹3268.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "न्यायिक विज्ञान निदेशालय" - ₹260.12 लाख की बचत (₹501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (के.अ.ब्यू.)" - ₹250.42 लाख की बचत (₹922.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Criminal Investigation and Vigilance" –

(a) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of ₹938.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3268.00 lakhs);

(b) "Directorate of Forensic Science" - saving of ₹260.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹501.00 lakhs); and

(c) "Central Forensic Science Laboratory (CBI)" - saving of ₹250.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹922.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संविदा आधार पर जनशक्ति की भर्ती के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-finalization of proposals for recruitment of man powers on contract basis and economy measures.

(ङ) "असम राइफल्स - स्थापना और प्रशासन" - ₹6934.83 लाख की बचत (₹287225.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुध निर्माणी द्वारा शस्त्रों और गोली बारूद की पूर्ति न किए जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, संविदाकार से दावे प्राप्त न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(E) "Assam Rifles – Establishment and Administration" – saving of ₹6934.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹287225.00 lakhs) was due to non-supply of arms and ammunitions by the Ordinance Factory, non-finalization proposals, non-receipt of claims from the contractor and economy measures.

(चा) "विशेष पुलिस - अनुसंधान" - ₹232.53 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(F) "Special Police - Research" - saving of ₹232.53 lakhs (against the sanctioned provision of

संगठन के कार्यकलापों का स्वरूप गुप्त होने के कारण हुई।

₹20000.00 lakhs) was due to secret nature of the activities of the organization.

(छा) "पुलिस कार्मिकों का कल्याण - केंद्रीय पुलिस संगठनों को कल्याण अनुदान" - ₹813.35 लाख की बचत (₹0.35 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7500.35 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय पुलिस संगठनों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(G) "Welfare of Police Personnel – Welfare Grant to Central Police Organisations" – saving of ₹813.35 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7500.35 lakhs including token supplementary grant of ₹0.35 lakh) was due to receipt of less claims from Central Police Organisations.

(जा) "बेतार और कम्प्यूटर - अंतर्राज्यीय पुलिस बेतार स्कीम" - ₹785.38 लाख की बचत (₹5804.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, चिकित्सा और यात्रा व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य पूरा न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(H) "Wireless and Computers – Inter-State Police Wireless Scheme" - saving of ₹785.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5804.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards medical and travel expenses, non-finalization of proposals, non-completion of works by Central Public Works Department and economy measures.

(झा) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण" -

(I) "Modernisation of Police Force" –

(क) "राज्य पुलिस संगठन को वस्तु रूप में सहायता" - ₹21700.00 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Assistance to State Police Organisation in kind" - saving of ₹21700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals by the Cabinet.

(ख) "आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली पुलिस को सहायता" - ₹3637.76 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली पुलिस की पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Assistance to Delhi Police for Modernisation" - saving of ₹3637.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals under Police Modernization Scheme of Delhi Police.

(ञ) "दिल्ली पुलिस - दिल्ली पुलिस के यातायात और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" - ₹1566.02 की बचत (₹3450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(J) "Delhi Police – Modernization of Traffic and Communication Network of Delhi Police" - saving of ₹1566.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3450.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals towards advertising and publicity, non-finalization of Techno Commercial proposal and economy measures.

(टा) "अन्य व्यय" -

(क) आंसू गैस सामग्री की खरीद, विनिर्माण और वितरण" - ₹148.42 लाख की बचत (₹2376.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेकनपुर में सीमा सुरक्षा बल की आंसू गैस ईकाई के स्वचालन संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" - ₹335.79 लाख की बचत (₹4120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "अपराध और अपराधी नेटवर्क प्रणालियां" - ₹36277.37 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण" - ₹44300.00 लाख की बचत (₹86000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "पुलिस - अन्य अनुदान" -

(क) "भारत रिजर्व बटालियन" - ₹350.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "राज्यों को विशेष सहायता" - ₹8298.26 लाख की बचत (₹78954.000 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(K) "Other Expenditure" –

(a) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹148.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2376.00 lakhs) was due to non finalization of proposals for automation of Tear Smoke Unit of BSF at Tekanpur.

(b) "Modernization of Police Forces of the Union Territories without Legislature" – saving of ₹335.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4120.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals.

(c) "Crime and Criminal Net Work Systems" – saving of ₹36277.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and non-receipt of reimbursement claims.

(IV) Under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Police - Modernisation of Police Force – Strengthening of State Police Organisations" - saving of ₹44300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹86000.00 lakhs) was due to non finalization of proposals by cabinet.

(B) "Police – Other Grants" -

(a) "India Reserve Battalions" - saving of ₹350.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-receipt of re-imbursement claims.

(b) "Special Assistance to States"- saving of ₹8298.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹78954.00 lakhs); and

(ग) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" - ₹8127.74 लाख की बचत (₹8300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष "3602" - "योजनेतर अनुदान - पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण" के अतंर्गत ₹170.00 लाख की बचत (₹1320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹185496.06 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1277.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - आप्रवास ब्यूरो" - ₹674.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹560.06 लाख था।

(ख) "शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" - ₹614.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹473.88 लाख था।

(ग) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस - स्थापना" - ₹62384.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹72519.39 लाख था।

(घ) "सीमा सुरक्षा बल" -

(i) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" - ₹44389.06 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹51780.94 लाख था।

(c) "Narcotics Control Bureau" - saving of ₹8127.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalization of proposals.

(V) Under Major Head "3602" – "Non-Plan Grants – Police – Modernisation of Police Force – Strengthening of Police Organizations in UTs with Legislature" - saving of ₹170.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1320.00 lakhs) was due to non-receipt of re-imbursement claims from Union Territory Governments.

4.(I) The above savings were partly (₹185496.06 lakhs) utilized for augmenting the provision by the re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1277.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" –

(a) "Direction and Administration – Bureau of Immigration" – ₹674.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹560.06 lakhs.

(b) "Education and Training - National Police Academy" – ₹614.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹473.88 lakhs.

(c) "Central Reserve Police - Establishment" – ₹62384.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹72519.39 lakhs.

(d) "Border Security Force" –

(i) Directorate General of Border Security Force" – ₹44389.06 lakhs. Actual excess, however, was ₹51780.94 lakhs.

(ii) "भारत-तिब्बत सीमा पुलिस" - ₹8917.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13503.07 लाख था।

(ङ) "औद्योगिक सुरक्षा बल - निदेशन और प्रशासन" - ₹19701.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹22249.93 लाख था।

(च) "दिल्ली पुलिस - निदेशन और प्रशासन" - ₹17558.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹14266.41 लाख था।

(छ) "सशस्त्र सीमा बल - स्थापना" - ₹22760.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹26732.12 लाख था।

(ज) "अन्य व्यय - नक्सल प्रबंधन के लिए सहायता" - ₹2000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1992.07 लाख था

(ख) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन" - ₹6499.00 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं" - ₹200.00 लाख का अधिक व्यय (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(ii) "Indo-Tibetan Border Police" – ₹8917.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13503.07 lakhs.

(e) "Industrial Security Force - Direction and Administration" – ₹19701.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹22249.93 lakhs.

(f) "Delhi Police – Direction and Administration" – ₹17558.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14266.41 lakhs.

(g) "Sashastra Seema Bal – Establishment" – ₹22760.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹26732.12 lakhs.

(h) "Other Expenditure - Assistance for Naxal Management" – ₹2000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1992.07 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Non Plan Grants - Police - Other Grants – Gorkhaland Territorial Administration" – ₹6499.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants – Police – Other Grants – Reimbursement to States for deployment of Battalions" – excess of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of re-imbursement claims received from the State Governments.

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"			
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police	*287.00*	*59.43*	*-227.57*

(I) *₹107.00 लाख* का *विनियोग* चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस - सामान्य" के अंतर्गत *₹120.57 लाख* की बचत (*₹180.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मामलों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) *Appropriation* of ₹*107.00 lakhs* remained wholly unutilized under four heads.

(II) Under "Central Reserve Police – General" – saving of ₹*120.57 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*180.00 lakhs*) was due to requirement of less funds towards Motor Accident Claims Tribunal cases.

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

6. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	850356.00			
पू.	S.	4.00	648044.00	587858.26	-60185.74
पु.	R.	-202316.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas		83000.00	45580.41	-37419.59

(I) ₹7268.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7085.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4055" - "अन्य पुलिस संगठन - राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" के अंतर्गत मशीनरी और उपस्करों की खरीद और कार्यालय भवनों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹7268.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹7085.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4055" - "Other Police Organization – National Intelligence Grid" – due to non-finalization of proposals for purchase of machinery and equipments and construction of office buildings.

(II) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस" -

(क) "आवासीय भवन" - ₹14572.67 लाख की बचत (₹39085.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य पूरे न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "कार्यालय भवन" - ₹30029.85 लाख की बचत (₹111229.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "सामान्य" - ₹4019.37 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹32626.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "आधुनिकीकरण" - ₹999.69 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(खा) "असम राइफल्स" -

(क) "आवासीय भवन" - ₹1630.20 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "आधुनिकीकरण" - ₹1153.77 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और संविदाकारों/पूर्तिकर्ताओं से दावे प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Central Reserve Police" –

(a) "Residential Buildings" – saving of ₹14572.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39085.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals and non-completion of works by the Central Public Works Department.

(b) "Office Buildings" – saving of ₹30029.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111229.00 lakhs);

(c) "General" – saving of ₹4019.37 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹32626.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2013); and

(d) "Modernization" – saving of ₹999.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-finalisation of proposals.

(B) "Assam Rifles" –

(a) "Residential Buildings" - saving of ₹1630.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs); and

(b) "Modernisation" - saving of ₹1153.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals and non-receipt of claims from the contractors/suppliers.

(गा) "सीमा सुरक्षा बल" -

(क) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" - ₹3513.11 लाख की बचत (दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹0.45 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹81617.45 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की गति धीमी होने और विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य अभिकरणों से निकासी प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "भारत तिब्बत सीमा पुलिस" - ₹9990.46 लाख की बचत (दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹0.45 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹56036.45 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, संलग्नकों सहित स्किड स्टीअर लोडर, वाहन निर्देशन प्रणाली की अधिप्राप्ति स्थगित किए जाने, सभी प्रकार के वाहनों की अधिप्राप्ति पर प्रतिबंध लगा होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड - कार्यालय भवन" - ₹15673.51 लाख की बचत (₹20013.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "औद्योगिक सुरक्षा बल" -

(क) "कार्यालय भवन" - ₹672.10 लाख की बचत (₹12819.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "आवासीय भवन" - ₹1121.33 लाख की बचत (₹6768.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Border Security Force" –

(a) "Directorate General of Border Security Force" – saving of ₹3513.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹81617.45 lakhs including token supplementary grant of ₹0.45 lakh obtained in December, 2012 and March, 2013) was due to non-finalization of proposals, slow pace of works by Central Public Works Department and non-receipt of clearance from Airport Authority and other agencies.

(b) "Indo-Tibetan Border Police" – saving of ₹9990.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹56036.45 lakhs including token supplementary grant of ₹0.45 lakh obtained in December, 2012 and March, 2013) was due to non-finalization of proposals, postponement of procurement of skid steer loader with attachments, vehicle navigation system, ban on procurement of all kind of vehicle and economy measures.

(D) "National Security Guard – Office Buildings"- saving of ₹15673.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20013.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals and non-completion of construction works by the Central Public Works Department and National Building Construction Corporation Limited.

(E) "Industrial Security Force" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹672.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12819.00 lakhs);

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹1121.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6768.00 lakhs);

(ग) "सामान्य" - ₹1241.82 लाख की बचत (₹2774.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "General" - saving of ₹1241.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2774.00 lakhs);

(चा) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण" -

(F) "Research, Education and Training" –

(क) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" - ₹6640.33 लाख की बचत (₹10900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "National Police Academy" – saving of ₹6640.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10900.00 lakhs); and

(ख) "राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान" - ₹466.63 लाख की बचत (₹485.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "National Institute of Criminology and Forensic Science" – saving of ₹466.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹485.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above five heads were due to non-finalisation of proposals.

(ग) "केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय" - ₹1557.13 लाख की बचत (₹2161.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को मूर्तरूप न दिए जाने, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने और गाजियाबाद स्थित केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय के निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) "Central Detective Training School" - saving of ₹1557.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2161.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for procurement of motor vehicles, non-receipt of claims from Directorate General of Supplies and Disposals and non-receipt of approval for construction of Central Detective Training School at Ghaziabad.

(घ) "पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" - ₹1436.29 लाख की बचत (₹3770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(d) "Bureau of Police Research and Development"- saving of ₹1436.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3770.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of motor vehicles and non-receipt of claims from National Building Construction Corporation Limited.

(ङ) "पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी" - ₹1599.29 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और जारी निर्माण कार्यों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दावों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(e) "North Eastern Police Academy"- saving of ₹1599.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals and non-settlement of claims of Central Public Works Department for ongoing construction works.

(च) "केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" - ₹3341.09 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(f) "Central Academy for Police Training"- saving of ₹3341.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs);

(छा) "दिल्ली पुलिस" -

(G) "Delhi Police" –

(क) "दिल्ली पुलिस आवास पर सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल" - ₹110.00 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Public Private Partnership Initiative on Delhi Police Housing" – saving of ₹110.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs); and

(ख) "दिल्ली पुलिस भवन कार्यक्रम" - ₹7266.71 लाख की बचत (₹25850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Delhi Police Building Programme" - saving of ₹7266.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25850.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-finalisation of proposals.

(ग) "नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेशन और क्षमता निर्माण" - ₹189.56 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यनिष्पादन अभिकरण से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) "Induction of Latest Technology and Capacity Building" - saving of ₹189.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals and non-receipt of claims from work executing agency.

(जा) "सशस्त्र सीमा बल" -

(H) "Sashashtra Seema Bal" –

(क) "कार्यालय भवन" - ₹9898.77 लाख की बचत (₹34184.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Office Buildings" - saving of ₹9898.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34184.00 lakhs);

(ख) "आवासीय भवन" - ₹5508.99 लाख की बचत (₹19852.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹5508.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19852.00 lakhs);

(ग) "सीमा चौकियां" - ₹7363.84 लाख की बचत (₹19697.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Border Out Posts" – saving of ₹7363.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19697.00 lakhs);

(झा) "सीमा प्रबंधन" -

(I) "Border Management" –

(क) "भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य" - ₹1957.96 लाख की बचत (दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹17277.15

(a) "Indo-Pak Border Works" – saving of ₹1957.96 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹17277.15 lakhs including

लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in December, 2012) ;

(ख) "भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य" - ₹1800.00 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Indo-Myanmar Border Works" – saving of ₹1800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs);

(ग) "भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य" - ₹7000.00 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Indo-Nepal Border Works" – saving of ₹7000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs);

(घ) "भारत-भूटान सीमा निर्माण कार्य" - ₹4999.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(d) "Indo-Bhutan Border Works" – saving of ₹4999.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs);

(ङ) "एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना" - ₹8689.24 लाख की बचत (₹16000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(e) "Setting up of Integrated Check Posts" - saving of ₹8689.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs);

(ञ) "तटीय सुरक्षा - तटीय सुरक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" - ₹9003.37 लाख की बचत (₹17000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(J) "Coastal Security – Assistance to States/UT's for Coastal Security" - saving of ₹9003.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17000.00 lakhs);

(ट) "अन्य पुलिस संगठन" -

(K) "Other Police Organizations" –

(क) "समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलेस)" - ₹2447.30 लाख की बचत (₹2765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of ₹2447.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2765.00 lakhs); and

(ख) "राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो" - ₹178.60 लाख की बचत (₹221.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "National Crime Records Bureau" - saving of ₹178.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹221.00 lakhs).

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above eleven heads were due to non-finalisation of proposals.

(ग) "आंसू गैस सामग्री का क्रय, विनिर्माण और वितरण" - ₹547.38 लाख की बचत (₹715.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर की आंसू गैस इकाई के

(c) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹547.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹715.00 lakhs) was due to non-finalisation

स्वचालन के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

of proposals for automation of Tear Smoke Unit of BSF, Tekanpur.

(घ) "केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला" - ₹7055.99 लाख की बचत (₹7325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 12वीं योजना के लिए उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(d) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of ₹7055.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7325.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of equipment for the XII Plan.

(ङ) "केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (के.आ.ब्यू.)" - ₹599.76 लाख की बचत (दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹755.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(e) "Central Forensic Science Laboratory (CBI)" – saving of ₹599.76 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹755.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in December, 2012) was due to non-finalisation of proposals for procurement of machinery and equipments.

(च) "अनुसंधान" - ₹90004.43 लाख की बचत (₹140000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठन के कार्यकलापों का स्वरूप गुप्त होने के कारण हुई।

(f) "Research" - saving of ₹90004.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹140000.00 lakhs) was due to the secret nature of the activities of the organisation.

(छ) "आसूचना ब्यूरो" - ₹12593.21 लाख की बचत (₹21957.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(g) "Intelligence Bureau" - saving of ₹12593.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21957.00 lakhs); and

(ज) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" - ₹2015.45 लाख की बचत (₹2950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(h) "Narcotics Control Bureau" - saving of ₹2015.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2950.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals and requirement of less funds by Central Public Works Department.

(झ) "आप्रवास ब्यूरो" - ₹492.15 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹580.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों के लिए कम्प्यूटरों, प्रिंटरों और अन्य पेरिफरलों की खरीद संबंधी कोडल औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने के

(i) "Bureau of Immigration" - saving of ₹492.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹580.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2013) was due to non-completion of codal formalities for purchase of computers, printers and other peripherals

कारण हुई।

(ञ) "राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण" - ₹331.28 लाख की बचत (दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹370.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हैदराबाद में प्रशिक्षण अकादमी के लिए भूमि अधिग्रहण और शाखा कार्यालय की चारदीवारी के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ठा) "अन्य व्यय - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का विभागीय लेखा संगठन" - ₹613.20 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा रोहिणी में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "असम राइफल्स"-

(क) "रिहायशी भवन" - ₹1331.63 लाख की बचत (₹26500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "कार्यालय भवन" - ₹12998.71 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "सीमा सुरक्षा बल" -

(क) "आवासीय भवन" - ₹260.26 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

meant for Foreigners Regional Registration Offices.

(j) "National Investigation Agency" – saving of ₹331.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹370.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in December, 2012) was due to non-finalisation of proposal for land acquisition for Training Academy and construction of boundary wall for branch office at Hyderabad.

(L) "Other Expenditure – Departmental Accounting Organization of Central Armed Police Forces"- saving of ₹613.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals for construction of office building at Rohini by National Building Construction Corporation Limited.

(III) Under Major Head "4552" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assam Rifles" –

(a) "Residential Buildings" - saving of ₹1331.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26500.00 lakhs);

(b) "Office Buildings" - saving of ₹12998.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs);

(B) "Border Security Force" –

(a) "Residential Buildings" - saving of ₹260.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs);

(ख) "कार्यालय भवन" - ₹2232.29 लाख की बचत (₹6998.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "सशस्त्र सीमा बल"-

(क) "रिहायशी भवन" - ₹780.73 लाख की बचत (₹2502.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "कार्यालय भवन" - ₹19815.97 लाख की बचत (₹25800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूर्ति विभाग/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹99.08 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 99 प्रतिशत थी।

7. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹27926.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) "असम राइफल्स" -

(का) "कार्यालय भवन" - ₹254.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹259.08 लाख था।

(खा) "सामान्य" - ₹719.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹612.65 लाख।

(II) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड - सामान्य" - ₹1075.00 लाख। तथापि, वास्तिवक अधिक व्यय ₹1201.43 लाख था।

(b) "Office Buildings" - saving of ₹2232.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6998.00 lakhs);

(C) "Sashashtra Seema Bal" –

(a) "Residential Buildings" - saving of ₹780.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2502.00 lakhs); and

(b) "Office Buildings" - saving of ₹19815.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25800.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to requirement of less funds by the Department of Supply/Central Public Works Department.

(IV) Under one head saving of ₹99.08 lakhs occurred constituting 99 percent of the sanctioned provision.

7. The above savings were partly (₹27926.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by the re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in December, 2012 and March, 2013 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "4055" - under the following heads:-

(I) "Assam Rifles" –

(A) "Office Buildings" – ₹254.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹259.08 lakhs.

(B) "General" – ₹719.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹612.65 lakhs.

(II) "National Security Guard – General" – ₹1075.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1201.43 lakhs.

(III) "दिल्ली पुलिस - दिल्ली पुलिस के यातायात और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" - ₹10678.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹10458.67 लाख था।

(III) "Delhi Police – Modernisation of Traffic and Communication Network of Delhi Police" – ₹10678.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10458.67 lakhs.

(IV) "सशस्त्र सीमा बल - सामान्य" - ₹1000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹974.07 लाख था।

(IV) "Sashashtra Seema Bal – General" – ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹974.07 lakhs.

(V) "सीमा प्रबंधन" -

(V) "Border Management" –

(का) "भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य" - ₹7200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4434.97 लाख था।

(A) "Indo-Bangladesh Border Works" – ₹7200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4434.97 lakhs.

(खा) "भारत-चीन सीमा" - ₹7000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7271.27 लाख था।

(B) "Indo-China Border" – ₹7000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7271.27 lakhs.